

अपना काम छोड़ राजनीति कर रहे जज : कानून मंत्री

न्यायपालिका में मतभेद-गुटबाजी, पारदर्शिता भी नहीं : जज न्याय देने की बजाय दूसरे कामों में बिजी

आजाद सिपाही संवाददाता

नयी दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजू ने कहा है कि आधे से ज्यादा समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले ले रहे होते हैं। इससे न्याय देने का उनका मुख्य काम प्रभावित होता है।

रिजू ने कहा कि संविधान सभा से परिवर्त दस्तावेज है। इसके तीन तर्फ हैं— विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मुझे लगता है कि विधानमंडल और कार्यपालिका अपने कर्तव्य को लेकर बंधे हुए हैं और न्यायपालिका उन्हें बहरत बनाने की वाली यह नहीं है। और कई बार गुटबाजी भी देखी जाती है।

जज न्याय देने से हटकर एप्जीकूटिव का काम करें तो हमें पूरी व्यवस्था का फिर से आकलन करना होगा।

अहमदाबाद में आएसएस की पक्षिका पञ्चजय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम सावरमति संवाद में पहुंचे रिजू ने कहा कि सुग्रीव कोर्ट में कार्योजियम सिस्टम भी राजनीति से अछूता नहीं है।

देश में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है।

रिजू ने कहा कि संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, लेकिन परेशनी की वाला यह है कि जब न्यायपालिका अपने कर्तव्य से भटक जाती है तो उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं है।

भाजपा ने कभी न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दिया : रिजू ने कहा, 'भारत में गणतंत्र जीवंत है और कई बार इसमें तुषिकरण की राजनीति भी देखी जा सकती है। भाजपा ने सरकार ने 1998 में सुग्रीव कोर्ट ने अपना कार्योजियम सिस्टम शुरू कर दिया। दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते



करते हैं। अब अगर हम न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, तो यही लोग कहेंगे कि हम न्यायपालिका को कंट्रोल या प्रभावित करना चाहते हैं या जजों की नियुक्ति में बदल देना चाहते हैं।' रिजू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान तीन वरिष्ठ जजों को हटाकर अगले 2015 को एन्जेएसी एक्ट को निरस्त कर दिया। इस पैसले के बाद जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा ले आया गया।

न्यायपालिका में ऐसी काई व्यवस्था नहीं है। जजों के आचारण को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के तहत ऐसी समाज सेवा के लिए चौक जस्टिस ऑफ इंडिया ले जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि जज वास्तविक समस्याओं और अधिकारीका हालात से अनजान रहते हैं। बेहतर होगा कि जज अपनी-अपनी इयूटी पर ध्यान दें, वर्ना लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम न्यायपालिका में एक्टिविज्म कर रहे हैं। रिजू ने कहा कि चाहे सांसद हो या जज, सभी के पास विशेष अधिकार है। संसद में कोड ऑफ एथिक्स है, लेकिन

आज भी बिंशिश राज के प्रभाव में है न्यायपालिका

रिजू ने कहा— 'भारत की न्यायपालिका आज भी 200 साल के बिंशिश राज के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकती है। मैं इस बारे में सीजेआइ से बात करूँगा कि हमें बिंशिश इंस कोड के फॉलो करते रहना है या अपने देश के मौसम और संस्कृति के मूलादिक पहनावा बदल लेना चाहिए।' रिजू बोले कि 2014 में टज्ज्ञ सरकार नेशनल ज्युडिशियल अपोइंटमेंट्स कमीशन एक्ट (ज्यजेएसी) लेकर आयी। सरकार को लगा था कि इससे जजों के अपोइंटमेंट के तरीके में बदलाव लाया जा सकता था। एन्जेएसी एक्ट का संसदीय संस्थान ने जजों के अपोइंटमेंट और ट्रान्सफर के लिए ज्यमेडरा होती। एन्जेएसी एक्ट और कॉन्विट्युशनल अमेंडमेंट एक्ट 13 अप्रैल, 2015 को लागू हुआ था, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को एन्जेएसी एक्ट को निरस्त कर दिया। इस पैसले के बाद जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा ले आया गया।

न्यायपालिका में ऐसी काई व्यवस्था नहीं है। जजों के आचारण को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के तहत ऐसी सीमा के बाहर जाकर एप्जीकूटिव फंक्शन करने की कोशिश करते हैं। जब न्यायपालिका अपनी सीमा के बाहर होती है तो यह जजों की नियुक्ति में बदल देना चाहते हैं।'

उन्होंने यह भी कहा कि जज वास्तविक हालात से अनजान रहते हैं। बेहतर होगा कि जज अपनी-अपनी इयूटी पर ध्यान दें, वर्ना लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम न्यायपालिका में एक्टिविज्म कर रहे हैं। रिजू ने कहा कि चाहे सांसद हो या जज, सभी के पास विशेष अधिकार है। संसद में कोड ऑफ एथिक्स है, लेकिन इसलिए उनका व्यवहार सही होना चाहिए। 1993 तक जजों की नियुक्ति सरकार करती थी। इसके लिए चौक जस्टिस ऑफ इंडिया ले जाती थी। उस समय तक देश में विशिश जज बहुत हुआ करते थे। 1993 के बाद सुधीरम कोर्ट से सलाह लेने को दखलनेवाली कहा जाने लगा। किसी और फॉलो में सलाह देने को दखलनेवाली करना नहीं कहा जाता है, सिवाय न्यायपालिका के। 1993 से पहले जजों की नियुक्ति में किसी जज कोई हाथ नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए न्यायपालिका पर सवाल भी उठाये जाने लगे हैं।

एमसीएल अनाथ बच्चों के लिए 100 सीट वाले छात्रावास का निर्माण करेगा



आजाद सिपाही संवाददाता

संबलपुर। महानदी कोलाफील्ड्स एमसीएल (एमसीएल) ने अपनी सीएसआर पहल के तहत संबलपुर के छत्तगढ़पाली स्थित रुमियांगी लाठ बाल निकेतन के अनाथ बच्चों के लिए 100 सीटेड छात्रावास निर्माण करने की योजना बनाई है। उक्त परियोजना 1.32 2021-22 में कोपीरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत 252 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की योजना है, जो कि एक वर्ष में

बंगल चैबर के गोल टेबुल चर्च में आशिम कुमार गोस्वामी आमंत्रित



आजाद सिपाही संवाददाता

परियोजनाओं, थर्मल स्टेसनों में बनायेंगे, थर्मल स्टेसनों में बनायेंगे, थर्मल स्टेसनों के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। कोलाकाता में बंगल चैबर के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना चाहता है कि न्यायपालिका भी देंगे। एन्जेएसी के हिस्सा है, लोग उन्हें देख रहे हैं। इसलिए न्यायपालिका पर सवाल भी उठाये जाने लगे हैं।

परियोजनाओं, थर्मल स्टेसनों में बनायेंगे, थर्मल स्टेसनों के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए।

रियोर्ट में कहा गया है कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए।

रियोर्ट में कहा गया है कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए।

रियोर्ट में कहा गया है कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए।

रियोर्ट में कहा गया है कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए।

रियोर्ट में कहा गया है कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए।

रियोर्ट में कहा गया है कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उन्हें चेतावनी देना कराई जाए।

रियोर्ट में कहा गया है कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। ऐसे नियुक्ति के बीच अच्छे संबंध रखेंगे। उनकी जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की